

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2016/आषाढ़ 22, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 111

No. 137]

DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2016/ASADHA 22, 1938.

[N.C.T.D. No. 111

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सं.फा. 16(487)/श0वि0/जल/2015/1108-1109.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2013 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्न भर्ती तथा पदोन्नति विनियम इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद की भर्ती तथा पदोन्नति विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
2. अनुप्रयोग :— ये इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 01 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड एवं ग्रेड पे वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5 अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

6. नियमित सेवा :- किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है ग्रेड में सेवा की अवधि या अवधियां जो कि उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् दी गई है तथा इसमें वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित होंगी जिसके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड ड्यूटी पद धारित है लेकिन उसके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा की स्थिति में ऐसे पद को धारण करने के लिए अवधि उपलब्ध नहीं होगी।

7. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

8. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

9. निरसन:- शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 04.12.2006 की अधिसूचना संख्या फा0 16(219)/श0वि0/जल/2005/25094 इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निरस्त समझी जायेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	:	481 (2014) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	वेतन समूह-2 में 9300-34800/-रुपये (ग्रेड पे 4200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट 1:- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट 2:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की

		लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिले तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p>अनिवार्य :-</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा सहित सिविल अभियांत्रिकी कार्य में योजना, निष्पादन तथा रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1:- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>नोट 2:- यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	<p>सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से</p> <p>(1) 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा</p> <p>(2) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संचालित सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले तथा पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित में ग्रेड पे 1800/-, 1900/-, 2400/- तथा 2800/- रुपये</p>

		सहित पे बैंड-1 में समूह "ग" कर्मचारियों के बीच में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत। जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: "ख" वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. निदेशक (ए एंड पी) -अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता (सिविल) - सदस्य 3. सहायक आयुक्त - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से
तथा उनके नाम पर,
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th July, 2016

No. 16(487)/UD/W/2015/1108-1109.—The following Recruitment and promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority orders dated 28.09.2013 necessary for appointment to the post of Junior Engineer (Civil) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information.

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (CIVIL) IN DELHI JAL BOARD, DELHI.

- 1. Short title and commencement** - These regulations may be called the Junior Engineer (Civil) in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2016.
- 2. Application** - They shall apply to the post specified in column No. 1 of the schedule hereto annexed.
- 3. Number of posts, Classification and scale of pay** - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications** -The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 5. Disqualifications** - No person,

